रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2000/ज्येष्ठ 24, 1922
No. 130] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2000/JYAISTHA 24, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2000

अंतिम जाँच परिणाम

विषयः- कोरिया गणराज्य से ऑप्टिकल फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 24/1/99-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम,1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 5-11-99 की अधिसूचना द्वारा कोरिया गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) से

ऑप्टिकल फाइबर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था.

(ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियो को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था;

(iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित कोरिया गणराज्य के दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षो पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त (i) और (ii) में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजने की सलाह दी जाए ।

(iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 22-2-2000 तथा 14-3-2000 को सार्वजनिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज करने का अनुरोध किया गया था । पार्टियों से प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने का अनुरोध किया गया था और उन्हें प्रत्युत्तर दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

(v) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी;

(vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हें अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । तथापि, प्रारंभिक निष्कर्षों में शामिल नहीं किए गए तर्कों तथा हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर उस सीमा तक जहॉ ये नियमों के तहत आवश्यक हैं, इन निष्कर्षों में उचित ढ़ंग से विचार किया गया है;

(vii) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों के आंकड़ों का व्यवहार्य सीमा तक सत्यापन किया गया था । अधिकारियों के एक दल ने निर्यातकों नामतः मै. देवू कारपोरेशन, ताईवान इलेक्ट्रिक वायर कं. लि., सैमसंग इलैक्ट्रानिक्स कं. लि. तथा एलजी केबल एंड मशीनरी लि. (कोरिया गणराज्य) के परिसरों में सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया था ।

(viii) उपरोक्त नियमों के नियम-16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लितए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के लिए खुलासा दिनांक 31-5-2000 के प्रकटन विवरण-पत्र में किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ।

(ix) इस मामले में मानी गई जांच अवधि (पी ओ आई) 1-4-98 से 28-2-99 तक की है ।

दिए गए तर्क

(i) इस मामले की शुरूआत एक उचित तीसरे देश के लिए उस निर्यात कीमत के साक्ष्य में याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्धरणों के आधार पर की गई है जिन पर प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के आकलन के लिए विश्वास किया गया है । तथापि, उक्त बोली का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है क्योंकि इसके बाद वास्तविक सौदा हुआ ही नहीं है ।

(ii) याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर की गई प्रारम्भिक शिकायत अपूर्ण तथा उसमें दिए गए तथ्यों का ब्यौरा त्रुटिपूर्ण था, जिनके कारण प्राधिकारी कोउसे अस्वीकार कर देना चाहिए था और उक्त शिकायत के आधार पर कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती थी ।

(iii) नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एक आवेदन के अनुसरण में तब तक जांच की शुरूआत नहीं की जा सकती है जब तक यह स्वयं प्रमाणित नहीं होता है कि जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

(iv) याचिकाकर्त्ता ने प्रारम्भिक रूप से जुलाई,1998 से फरवरी,1999 की अवधि के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए थे और तदनुसार जांच की अवधि अप्रैल,1998 से फरवरी,1999 तक की ली गई थी । इससे शिकायतकर्त्ता को अप्रैल,1998 से जून 1998 की अवधि के लिए आंकड़ों को जोड़-तोड़ करने का अवसर मिला जिसके परिणामणस्वरूप बाद में प्रस्तुत किए गए आंकड़े शिकायत के साथ पहले प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से बिलकुल भिन्न थे ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

(i) प्राधिकारी यह पाते हैं कि मामले की जांच शुरू करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग (शिकायतकर्त्ता) द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्धरण पर सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया था । प्राधिकारी ने उस सूचना पर विश्वास किया है जो कि आवेदक के पास उपलब्ध थी विशेष रूप से बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता को संबद्ध देश में ऑप्टिकल फाइबर की घरेलू कीमत संबंधी सूचना प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ा और यह निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को होने वाली निर्यात कीमत से संबंधित है । इस संबंध में प्राधिकारी ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास के जरिए कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत से संबंधित सूचना प्राप्त करने का प्रयास भी किया था लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने इस मामले में जांच की शुरूआत के उद्देश्य से याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना को सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में विश्वास करना उचित समझा ।

(ii) सभी मामलों में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त सूचना मांग कर याचिकाकर्त्ता को अपनी याचिका में रह गई कमियों को दूर करने का अवसर दिया जाता है ।

(iii) उपरोक्त (i) की तरह

(iv) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्राप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य को प्रमाणित करते हुए एक पूरे दस्तावेज वाली याचिका के आधार पर ऑप्टिकल फाईबर के आयातों के विरूद्ध दिनांक 1 जुलाई, 1999 को एक मामले की शुरूआत की । जांच की अवधि अप्रैल 1998 से फरवरी, 1999 तक निर्धारित की गई और इस विशिष्ट जांच अवधि के संदर्भ में घरेलू उद्योग से लागत संबंधी आंकड़े मांगे गए थे । घरेलू उद्योग के दिनांक 25 अगस्त, 1999 के अभ्यावेदन द्वारा जांच अवधि के संदर्भ में दिए गए लागत संबंधी आंकड़ों को पूर्ण सूचना के रूप में माना गया है और इसे ही इस मामले की सभी जांचों के लिए आधार के रूप में अपनाया गया है ।

ख. याचिकाकर्त्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच

2. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में और प्रकटन विवरण-पत्र में भी चर्चा की गई है । जिन विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रकटन विवरण-पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण के जवाब में उठाए गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है, जहाँ तक वे नियमों के अनुसार संगत है और जहाँ तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं । हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गई है और जहाँ कहीं उचित समझा गया है, नीचे दिए गए संगत-पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 9001.10 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध देशों के मूल का या वहॉ से निर्यातित ऑप्टिकल फाइबर है । यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है । आप्टिकल फाईबर का उपयोग लंबी दूरी के दूरसंचार संबंधी अनुप्रयोग,

सीएटीवी तथा ध्वनि, आंकड़ा एवं वीडियों सिगनलों के प्रभावी प्रसारण के लिए नेटवर्क संबंधी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है ।

घ. "घरेलू उद्योग" याचिकाकर्त्ता की स्थिति

4. यह याचिका मै. स्टरलाईट इंडस्ट्रीज लि., एमआईडीसी, वालुज औरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्त्ता को शामिल करते हुए भारत मे ऑप्टिकल फाइबर के पाँच विनिमार्ता हैं । प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्त्ता का घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आप्टीकल फाइबर के उत्पादन मे प्रमुख हिस्सा बनता है । इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष को दोहराते हैं कि याचिकाकर्त्ता के पास घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के लिए नियमों के अंतर्गत पर्याप्त आधार है । इसलिए, प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा-7 के निष्कर्ष को पुष्ट समझा जाता है ।

दिया गया तर्कः

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या शिकायतकर्त्ता स्वयं ही कथित पाटित वस्तुओं का एक आयातक था, कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है क्योंकि यह मुद्दा शिकायतकर्त्ता की स्थिति से संबंधित है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी यह पाते हैं कि याचिकाकर्त्ता/शिकायतकर्त्ता ने जांच अवधि के दौरान कथित रूप से पाटित वस्तुओं की नगण्य मात्रा का आयात किया है । इसके अलावा यह पाया गया कि इस प्रकार का आयात लक्षित देश को छोड़कर अन्य देशों से किया गया है । प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार का नगण्य आयात शिकायतकर्त्ता को घरेलू उद्योग का एक हिस्सा बनने के लिए उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है । इसके अलावा, नियम 2(ख) में दिनांक 15 जुलाई, 1999 को दिए गए संशोधन के अनुसार प्राधिकारी कथित पाटित वस्तु के किसी आयातक को घरेलू उद्योग का हिस्सा मान सकते हैं । वर्तमान मामले में प्राधिकारी के पास इस बात के

मद्देनजर, ऐसा मानने का आधार है कि शिकायत करने वाले याचिकाकर्त्ता द्वारा नगण्य मात्रा में आयात किया गया है ।

ङ. समान वस्तु

5. प्राधिकारी इस प्रकार के पहलुओं पर विधिवत विचार करने के पश्चात् प्रारम्भिक जांच परिणाम के पैरा-6 के तहत दिए गए उस निर्णय को दोहराते है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल फाइबर संबद्ध देश से निर्यातित ऑप्टिकल फइबर के समान वस्तु है क्योंकि दोनों की मौलिक तकनीकी विशेषताएँ, उनके समान अंतिम उपयोग, उनकी तकनीकी एवं वाणिज्यिक स्थापनापन्नता तथा समान टैरिफ वर्गीकरण को समान वस्तु के निर्धारण के उद्देश्य से उचित समझा गया है ।

यहाँ पर टेलिकोम केबल्स डैवल्पमैंट एशोसिएशन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोरियाई फाइबर याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित फाइबर से गुणवत्ता में काफी उत्तम है । तथापि, इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि उत्पाद की गुणवत्ता में भिन्नता या उसकी शुद्धता से वस्तुओं की समानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । नियम 2(घ) में उल्लिखित समान वस्तु की परिभाषा के अनुसार, यह पर्याप्त है कि अगर वस्तु, यद्यपि यह हर प्रकार से सदृश नहीं है, जांच की जा रही उन वस्तुओं की विशेषताओं से मिलती-जुलती हो । तदनुसार, कोरिया गणराज्य से आयातित ऑप्टिकल फाइबर को प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल फाइबर के समान वस्तु के रूप में माना है ।

च. पाटन का मूल्यांकन

6. सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमतः संबद्ध देशों के निर्यातकों के संबंध में पाटन संबंधी मानदण्डों नामतः सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की जाँच एवं इनका निर्धारण सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम-1995 की धारा 9क (1) (ग) के अनुसार किया जाता है ।

7. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और डंपिंग मार्जिन के मूल्यांकन के संबंध में जो सामान्य तर्क दिए गए हैं वे निम्नानुसार हैं-

दिये गये तर्क

(i) ऑप्टिकल फाइबर की कीमतों में सामान्य रूप से विश्वव्यापी कमी आई है और इस प्रकार इन चार निर्यातकों द्वारा भारत में कोई पाटन नहीं किया गया है ।

(ii) मैसर्स देबू कारपोरेशन और एलजी केबल्स एंड मशीनरी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अन्य देशों को उस औसत दर पर अपने-अपने फाइबरों का निर्यात किया है जो भारत को किए जाने वाली उनकी निर्यात कीमत से मेल खाती हैं । इसलिए, कोई पाटन नहीं हुआ है, क्योंकि भारत को कोरियाई निर्यात ऐसी कीमतों पर किया गया है जिनकी तुलना उन दरों से की जा सकती है जिन दरों पर इसका निर्यात अन्य देशों को किया जाता है । जांच अवधि के दौरान देवू द्वारा अन्य देशों को किए गए औसत निर्यात की कीमत 23.01 अमरीकी डालर बताई गई है और एलजी द्वारा जर्मनी, आस्ट्रिया, चीन, इजराइल इत्यादि को किए गए निर्यात की कीमत औसतन 24.47 अमरीकी डालर बताई गई है ।

(iii) कोरियाई आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा भारतीय बाजार को जिन कीमतों की पेशकश की गई है वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ तुलनीय हैं और इसलिए न तो कोई पाटन हुआ है और न ही कोई डम्पिंग मार्जिन निकाला गया है । इस प्रयोजनार्थ चीन और जापान से भारत को ऑप्टिकल फाइबर की प्रस्तावित कीमतें उद्धृत की गई हैं ।

(iv) प्राधिकारी ने मैसर्स ताईहन इलैक्ट्रिक के मामले में इसकी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निकाला है । प्राधिकारी संबद्ध देश के अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए मैसर्स ताईहन इलैक्ट्रिक की घरेलू बिक्री कीमत पर उचित विचार कर सकते हैं । यह उल्लेख किया जाता है कि उन अन्य नियार्तकों के लिए भी ताईहन की तरह ही इसी किस्म के सामान्य मूल्य को अपनाया जा सकता है जो उसी घरेलू बाजार में स्थित हैं ।

(v) प्रकटन दस्तावेज, जहां तक इसकी तुलना की प्रक्रिया और डम्पिंग मार्जिन की गणना से संबंध है, नियम-16 में यथा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

(i) जहां तक कीमतों में सामान्य विश्वव्यापी कमी से संबंधित दावे का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि यही तथ्य कोरियाई निर्यातकों द्वारा दूसरे को किए गए निर्यात कीमतों पर भी लागू किया जाना चाहिए जो कि निर्यातकों द्वारा स्वयं प्रस्तुत सूचना से उत्पन्न मामला नहीं है ।

(ii) घरेलू बिक्री कीमत के अभाव में अधिनियम के तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए जो वैकल्पिक पद्धति है वह किसी तीसरे एक उचित देश की प्रतिनिधि निर्यात कीमत है । इसलिए, सामान्य मूल्य की गणना तीसरे देशों को किए गए निर्यात कीमतों का औसत निकाल कर नहीं की जा सकती ।

(iii) डम्पिग का निर्धारण भारत को किए गए निर्यातक की निर्यात कीमत का किसी एक उचित तीसरे देश को उसकी निर्यात कीमत के साथ तुलना करके किया जाता है और तुलना के ये दो कारक एक व्यक्तिक निर्यातक के लिए हमेशा विशिष्ट होते हैं क्योंकि नियम 17(3) के तहत व्यक्तिक निर्यातक/उत्पादक के लिए डंपिग मार्जिन विशिष्ट रहता है । इस मामले में, इन दो कारकों की गणना निर्यातकों द्वारा स्वयं प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार की गई है । अंतिम निष्कर्षों में इनकी गणना निर्यातकों की सूचना की जांच करने की पश्चात् की जाती है । इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी और भारत को जापान और चीन द्वारा पेश की गई कीमतें जैसे तथ्यों की जांच पाटनरोधी नियमों के अनुसार नहीं की जाती है ।

(iv) इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि नियम 17(3) के तहत डम्पिग मार्जिन का निर्धारण निर्यातक-वार किया जाना है । चूंकि डम्पिंग मार्जिन दो कारको नामतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का कार्य है, इसलिए बाद के इन दो कारकों का निर्धारण भी निर्यातक-वार किया जाना है ।

तदनुसार, एक निर्यातक के सामान्य मूल्य को उसी देश के अन्य निर्यातकों के लिए अपनाया नहीं जा सकता है । प्रत्येक सहयोगी निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण उस निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर की जाती है । इसलिए, प्राधिकारी ने मैसर्स ताइहन के मामले की तरह ही, उन मामलो में सामान्य मूल्य के आधार पर घरेलू बिक्री कीमत को ध्यान में रखा है, जहां निर्यातक ने घरेलू बिक्रियां की हैं । चूंकि अन्य निर्यातकों ने घरेलू बिक्रियां नहीं की हैं, इसलिए प्राधिकारी द्वारा इनके सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी उचित तीसरे देश के प्रतिनिधि निर्यात कीमत की वैकल्पिक प्रणाली के आधार पर.किया गया है ।

v) प्रकटन विवरण में, तुलना की विधि पैरा 2.1.1 में दर्शाई गई है जहां इसका उल्लेख भारित औसत से भारित औसत के रूप में किया गया है । प्राधिकारी ने मौजूदा निष्कर्षों में सभी निर्यातकों के लिए तुलना की समान प्रक्रिया को यथा संभव समान समय में समान स्तर पर व्यापार अर्थात् कारखानागत व्यापार की तुलना के लिए नियमों के अधीन शर्तो को ध्यान में रखते हुए अपनाया है ।

8. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन अधिनियम, 1995) की धारा 9क (1) (ग) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए ज्ञात निर्यातकों को अवसर प्रदान किया है । निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों, जिन्होंने जांच में सहयोग और उत्तर दिया, का निम्नानुसार मूल्यांकन किया गया है:-

(i) मैसर्स सैमसंग इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लि.

सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं-

दिए गए तर्क

(क) निर्यातक ने तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किंग सैंग हांग (हांगकांग) को की गई बिक्रियों को चीन को की गई बिक्रियों में शामिल किया जाना चाहिए और तदनुसार चीन में किए गए भारत औसत सीआईएफ मूल्य की गणना की जानी चाहिए क्योंकि इन बिक्रियों की व्यापार वास्तविकता चीन को हुए सीधे निर्यात के बिल्कुल समान है और किंग सैंग हांग (हांगकांग) को होने वाला निर्यात चीन में खपत होने के उद्देश्य से था न कि हांगकांग में खपत के लिए ।

(ख) इस संबंध में, शिकायतकर्त्ता का यह दृष्टिकोण है कि अगर हांगकांग के जरिए चीन को हुए निर्यात पर सामान्य मूल्य की गणना करने हेतु विचार किया जाता है, तो प्राधिकारी को ऐसे सौदों को केवल ध्यान से जांचने के पश्चात ही स्वीकार करना चाहिए । किसी भी मामले में हांगकांग को हुए निर्यात की कीमतों में भारत को हुए निर्यात की कीमतों से तुलना करने से पूर्व वृद्धि होनी चाहिए । इन प्रस्तुतियों का यह है कि भारत को हुए सभी निर्यात प्रत्यक्ष अंतिम उपभोक्त को हुए है जबकि हांगकांग के जरिए चीन को हुए निर्यात मध्यस्थता के अधीन हुए है । इसप्रकार, ये दो सौदे दो-दो अलग-अलग वाणिज्यिक स्तर के हैं । इसलिए, उपयुक्त समायोजन आवश्यक है । यह एक

स्वीकृत बात है कि एक व्यापारी/बिचौलिए की कीमत अंतिम उपभोक्ता के लिए नियम कीमत से हमेशा कम होती है । इसलिए हांगकांग के जरिए चीन को किए गए निर्यातों में भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना उर्ध्वगामी संशोधन किया जाना है । उर्ध्वगामी संशोधन की सीमा हांगकांग में मध्यस्थता के लिए स्वीकृत मार्जिन के बराबर होना चाहिए । अगर उक्त सूचना उपलब्ध नहीं है तो प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर समायोजन करने के लिए बाध्य हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

(क) प्राधिकारी किंग सैंग हांग (हांगकांग) को हुए सौदे की जांच करने पर पाते हैं कि किंग सैंग हांग को हुए निर्यात चीन के लिए नियत थे और बिजकों के अनुसार सुपूर्दगी और भुगतान की शर्तों को चीन के सीआईएफ मूल्य आधार पर पाया गया है । इसलिए प्राधिकारी किंग सैंग हांग को किए गए निर्यातों को चीन को किए गए निर्यातों के रूप में मानते हैं और इन सौदों के बीजक मूल्य को चीन को हुए निर्यात की सीआईएफ कीमत के रूप में मानते हैं ।

(ख) प्राधिकारी पाते है कि हांगकांग के किंग सैंग हांग की भुमिका दस्तावेज और भुगतान व्यवस्था तक सीमित है । इसके अलावा, बीजक के अनुसार भुगतान की शर्त चीन की सीआईएफ कीमत है । अगर उक्त सौदों में हांगकांग के मध्यवर्ती उत्पादों के मार्जिन को ध्यान में रखा जाता है और चीन के सीआईएफ मूल्य में जोड़ दिया जाता है कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए इसी मार्जिन को चीन के सीआईएफ मूल्य में से घटाना पड़ेगा । इस प्रकार चीन को किए गए निर्यात की कीमत में उर्ध्वगामी का प्रभाव हांगकांग में मध्यवर्ती उत्पादों के लिए नियत मार्जिन को जोड़ने से निष्क्रिय हो जाता है । इसलिए, प्राधिकारी ने बीजकों के अनुसार सामानय मूल्य के आधार के रूप में चीन की सीआईएफ कीमत को अपनाया है ।

सामान्य मूल्य

तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन को होने वाले निर्यातों के भारित औसत सीआईएफ कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है जिसमें चीन के लिए नियत हांगकांग (किंग सैंग हांग) के जरिए हुए निर्यात शामिल हैं । सामान्य मूल्य के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना को मूल बीजकों के संदर्भ में सत्यापित किया गया था जिसमें जांच अवधि के दौरान चीन और हांगकांग को किए गए निर्यातों के साक्ष्य है और तदनुसार चीन की भारित औसत सीआईएफ कीमत.....अमरीकी डालर प्रति के एम निर्धारित की है 1 समायोजनों के संबंध में, भाड़ा संबंधी बीजक की जांच की गई है और भाड़ा राशि की गणना उसी स्तर पर की गई है जिसका निर्यातक द्वारा दावा किया गया था और प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में अनुमति दी थी । सी/सी शुल्क के लिए दावा किए गए समायोजन को निर्यातक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । चीन को हुई उनकी निर्यातक की कीमत में से समायोजन के रूप में दावा किए गए ऋण संबंधी खर्च केवल काल्पनिक पाए गए हैं और वास्तविक तौर पर निर्यातक द्वारा ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया है 1 भारत को हुए निर्यातों के मामले मे ऋण संबंधी खर्चों को सीआईएफ कीमत में शामिल होने के रूप में स्पष्टीकरण दिया गया था । इससे प्राधिकारी को यह मानना पड़ा था कि ऐसे खर्चे चीन को हुए

निर्यातों की सीआईएफ कीमत में भी शामिल थे । इसको देखते हुए और निर्यातक द्वारा स्पष्ट किए गए ऋण खर्चों की काल्पनिक प्रकृति को देखते हुए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्रारंभिक निष्कर्षों में विचारित समायोजनों में से सी/सी शुल्क सहित ऋण खर्चों को निकाल दिया है । तदनुसार, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण.....अमरीकी डालर प्रति के.एम. किया गया है । यह पता लगाने के लिए कि क्या चीन को हुए निर्यात सामान्य व्यापारिक कारोबार स्वरूप के हैं, उत्पादन लागत के ब्यौरों की, जिसमें निर्यातक द्वारा दी गई प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतें शामिल हैं, जांच की गई थी और उनका सत्यापन किया गया था तथा जांच करते समय चीन को हुए बिक्रियों को कीमत के कारणों से सामान्य कारोबार के रूप में पाया गया है । चूंकि चीन को हुई बिक्रियां उत्पादन लागत पर आधारित होने के कारण व्यवहार्य बिक्रियां है, इसलिए इन बिक्रियों को सामान्य मूल्य के लिए विचार किया गया है ।

निर्यात कीमत

जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, इस संबंध में मूल बीजकों की जांच की गई है जिससे भारत को किए गए निर्यातों की पुष्टि होती है और भारित औसत सी आई एफ मूल्य उसी स्तर पर निर्धारित किया गया है जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में किया गया है । दावा किए गए समायोजनों के संबंध में सी/सी शुल्क के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए उसे निवल निर्यात कीमत का आकलन करने के उद्देश्य से बाहर रखा गया है । तथापि, भाड़े (भाडा बीजक), बीमा (बीमा बीजक) तथा दो प्रतिशत की दर से कमीशन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है। तदनुसार, भाड़े, बीमा तथा कमीशन के रूप में समायोजनों का कुल मूल्य ---अमरीकी डालर/के एम निर्धारित किया गया है । अतः जांच करने पर कारखागत स्तर पर निर्यात कीमत उसी स्तर पर रहती है जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में थी ।

(ii) **मै0 देवू कारपोरेशन**

निर्यातक के कारपोरेट कार्यालय एवं निर्माण स्थल पर एक जांच दौरा किया गया था । तथापि, उनके निर्यात एवं उत्पादन लागत के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज और रिकार्ड जांच के लिए उपलब्ध नहीं करवाए गए थे । सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत और उन पर दावाकृत समायोजनों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाए गए और न ही लागत रिकार्ड को जांच के लिए उपलब्ध करवाया गया । इस हालत में प्राधिकारी के पास निम्नानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था ।

सामान्य मूल्य

सामान्य मूल्य के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि:-

(क) सामान्य मूल्य के विभिन्न घटक जैसे कि एक उचित तीसरा देश होने के नाते चीन को हुई निर्यात कीमत तथा उसमें शामिल समायोजनों को निर्यातक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हे । निर्यातक ने सामान्य मूल्य से संबंधित अपनी सूचना की जांच में सहयोग नहीं दिया है ।

(ख) इसके अतिरिक्त, जांच अवधि के दौरान चीन को हुए निर्यात वास्तव में निर्यातक की एक सहायक कंपनी नामतः वूक्सी-देवू केबल लि0 को किए गए निर्यात हैं । चूँकि आयातक एक संबंधित कंपनी है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऐसी कंपनी की निर्यात कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे व्यापार के सामान्य रूप में नहीं लिया जा सकता ।

(ग) निर्यातक की घरेलू बिक्री के अभाव में तथा एक उचित तीसरे देश के रूप में चीन को हुए उनके निर्यात (संबंधित कंपनी को हुए निर्यात के कारण) की अपात्रता को देखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु एकमात्र वैकल्पिक कार्य प्रणाली उत्पादन लागत है । तथापि, उत्पादन लागत के संबंध में भी सूचना अपूर्ण है और अपुष्ट है क्योंकि उत्पादन लागत तथा उसके ब्यौरे कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं और न ही इस संबंध में जांच के लिए अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं ।

इस हालत में अंतिम निष्कर्षों के उद्देश्य से प्राधिकारी उसी सामान्य मूल्य को स्वीकार करते हैं जो कि प्रारम्भिक निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण कोरियाई सीमाशुल्क आंकड़ों से एकत्र की गई याचिकाकर्त्ता की सूचना तथा भाड़े, बीमा तथा कमीशन के संबंध में याचिकाकर्त्ता द्वारा दावाकृत समायोजनों के अनुसार जांच अवधि के दौरान दक्षिण कोरिया से वियतनाम को हुई भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है । तदनुसार, सामान्य मूल्य 37.84 अमरीकी डालर/के.एम बैठता है ।

निर्यात कीमत

निर्यात कीमत का निर्धारण भी उसी प्रकार किया गया है जैसा कि प्रारम्भिक निष्कर्षों में किया गया था । अतः कारखानागत स्तर पर इसे 22.07 अमरीकी डालर/के.एम पर निर्धारित किया गया है ।

(iii) **एल जी केबल्स एण्ड मशीनरी**

सामान्य मूल्य

सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में उचित तीसरे देश के रूप में वियतनाम को किए गए निर्यात की भारित औसत निर्यात कीमत को अपनाया है । अब जांच के पश्चात् यह पाया गया है कि वियतनाम को एल जी केबल्स के हुए निर्यात उनकी संयुक्त उद्यम कंपनी को किए गए निर्यात हैं । जांच के दौरान इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे कि जांच के दौरान वियतनाम को एल जी द्वारा किए गए सभी निर्यात मै0 वीना जी एस सी को किए गए हैं जो कि एल जी की 50 % शेयर हिस्से वाली एक संयुक्त उद्यम वाली कंपनी है । चूँकि ये बिक्रियां एक संबंधित कंपनी को की गई है, इसलिए इन बिक्रियों को व्यापार के सामान्य रूप में नहीं लिया जा सकता है और इसलिए इन्हें सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आधार नहीं माना जा सकता है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी एल जी द्वारा चीन को किए गए निर्यात को चीन को एक समुचित तीसरा देश मानते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आधार मानते हैं । जांच अवधि के दौरान चीन को हुए निर्यात-सौदों के दस्तावेजों की जांच की गई है और तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन को हुई भारित औसत निर्यात कीमत तथा कमीशन, हवाई भाड़ा और बीमा जिसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की गई है, पर हुए समायोजनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । अतः प्राधिकारी------अमरीकी डालर/के एम पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं । इस संबंध में प्राधिकारी ने भारत को हुए निर्यात के साथ उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए केवल 1998 की अंतिम तिमाही तथा 1999 की पहली तिमाही के दौरान चीन को हुए निर्यात सौदों को ध्यान मे रखा है जो कि केवल इस अवधि के दौरान हुए हैं ।

निर्यात कीमत

भारत को किए गए निर्यातों की निर्यात कीमत के संबंध में, संगत बीजकों तथा निर्यातकों द्वारा कमीशन, समुद्री भाड़े तथा बीमा के लिए दावाकृत समायोजनों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की गई है और निर्यातक द्वारा किए गए दावे, जिसे प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच में

स्वीकार किया गया है, को उचित पाया गया है । तदनुसार, भारत को किए गए निर्यात की भारित औसत सी आई एफ निर्यात कीमत, उपरोक्त समायोजनों के लिए राशि तथा कारखानागत स्तर पर भारत को किए गए निर्यातों की निर्यात कीमत का क्रमशः--------अमरीकी डालर/के.एम., ----------अमरीकी डालर/के.एम. तथा ----------अमरीकी डालर/के.एम. पर निर्धारण किया गया है ।

(iv) **ताइहान इलैक्ट्रिक वायर कं0 लि0**

सामान्य मूल्य

निर्यातक संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री वाली एकमात्र कंपनी है जिसे प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में मै0 ताइहान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आधार के रूप में स्वीकार किया है । घरेलू बाजार में निर्यातक के सौदों की मूल रूप में प्रस्तुत किए गए संगत बीजकों से जांच की गयी है । तदनुसार, इस अवधि के दौरान भारित औसत घरेलू कीमत का निर्धारण उसी स्तर पर किया गया है जैसा कि प्रारम्भिक निष्कर्षों में किया गया था । जहॉ तक समायोजनों का संबंध है, अंतर्देशीय भाड़े तथा हैंडलिंग खर्च की जांच की गई है तथा उन्हें प्रमाणित पाया गया है । तथापि, प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक निष्कर्षों में अनुमत्य शुल्कों के लिए निर्यातक द्वारा दावाकृत समायोजन के संबंध में यह उल्लेख किया गया था कि इसका वी ए टी के लिए दावा किया गया था । तथापि, निर्यातक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वी ए टी का भुगतान घरेलू क्रेता द्वारा किया जाना है और इसलिए इसका समायोजन के रूप में दावा नहीं किया जा सकता । चूँकि वी ए टी क्रेता के कारण होता है इसलिए इसके लिए किया गया खर्च घरेलू बाजार में आपूर्तिकर्त्ता अर्थात् निर्यातक द्वारा नहीं किया जाता है । अतः, निर्यातक द्वारा अपने घरेलू कीमत ढांचे में दावाकृत करों (वी ए टी) के लिए समायोजनों पर जिसकी अनुमति प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में दी थी पर अंतिम निष्कर्ष में विचार नहीं किया गया है । अतः सामान्य मूल्य अर्थात् कारखानागत स्तर पर घरेलू कीमत को संशोधित किया गया है और घरेलू बिक्री कीमत पर दावाकृत समायोजनों में से करों (वी ए टी) के घटक को निकाल दिया गया है । तदनुसार, प्राधिकारी --------अमरीकी डालर/के.एम. पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं । चूँकि

निर्यातक की घरेलू बिक्री नियमों के अनुबंध-I के पैरा 2 के अनुसार व्यापार के सामान्य रूप में पायी गयी है इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस पर विचार किया गया है ।

निर्यात कीमत

जांच अवधि के दौरान भारत को हुए निर्यात के बीजकों की जांच की गयी है और तदनुसार भारत को हुए निर्यातों का भारित औसत सी आई एफ मूल्य --------अमरीकी डालर/के.एम. पर निर्धारित किया गया है । प्राधिकारी कमीशन, भाड़े, बीमा तथा अंतर्देशीय भाड़े पर हुए समायोजनों की राशि ---------अमरीकी डालर/के.एम. निर्धारित करते हैं जैसा कि दस्तावेजी साक्ष्यों से जांच की गयी है । तदनुसार, प्राधिकारी कारखानागत स्तर पर भारत को हुए निर्यातों की निर्यात कीमत का निर्धारण ----------अमरीकी डालर/के.एम. पर करते हैं ।

छ. **पाटन मार्जिन का निर्धारणः सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना**

9. प्राधिकारी ने नियमों के अनुबंध-I में निहित सिद्धांतों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के आधार पर विभिन्न निर्यातकों/उत्पादकों के पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है । सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के उद्देश्य से प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पूरी तरह से जांची गयी तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध ऐसी अन्य सूचना पर विचार किंया है जिसे प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना माना है। ऊपर उल्लेखानुसार ज्ञात सहयोगी तथा असहयोगी/शेष निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत व्यापार के समान स्तर पर अर्थात् कारखानागत स्तर पर है तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से भारित औसत की तुलना भारित औसत के साथ की गई है ।

10. उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसरण में संबद्ध देशों तथा इसके निर्यातकों के संबंध में निम्नानुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया हैः-

(i) **सैमसुंग इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लि0**

दिए गए तर्क

निर्यातक ने सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किए हैं

(क) चूँकि चीन को निर्यात केवल 1998 की दूसरी तिमाही में किए गए हैं तथा जांच अवधि के दौरान किसी और समय में नहीं किए गए इसलिए नियमों के अनुबंध-I के पैरा 6(I) के प्रावधानों के अनुसार उनकी तुलना केवल 1998 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के साथ ही की जानी चाहिए ।

(ख) वैकल्पिक रूप से, किंग सैंग हांग (हांगकांग) को की गई बिक्री को चीन को हुई बिक्री में शामिल करना चाहिए तथा तदनुसार चीन को हुए भारित औसत सी आई एफ मूल्य का निर्धारण करना चाहिए क्योंकि इन बिक्रियों की व्यापार वास्तविकता चीन को हुए सीधे निर्यात के बिल्कुल समान थी और चूँकि किंग सैंग हांग (हांगकांग) को किए गए निर्यातों का उपयोग चीन में किया जाना निश्चित था न कि हांगकांग में ।

(ग) यदि प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान भारत को होने वाले भारित औसत निर्यात कीमत की तुलना चीन को होने वाले भारित औसत निर्यात कीमत के साथ करने की पद्धति का प्रयोग करते रहते हैं तो डम्पिंग मार्जिन में संशोधन अद्योमुखी होगी (किंग सैंग हांग के साथ वास्तविक सौदों को प्रदर्शित करने के पश्चात् और चीन को किए गए निर्यातों में किंग सैंग हांग को किए गए निर्यातों को शामिल करने के बाद)

प्राधिकारी द्वारा जांच

(क) प्राधिकारी पाते हैं कि मई 1998 के दौरान चीन को निर्यात किया गया है (किंग सैंग हांग को किए गए निर्यातों पर विचार किए बगैर) जिसमें केवल एक ही महीने की जांच अवधि शामिल है । चूँकि चीन को किए गए निर्यात की ऐसी अवधि, जांच अवधि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए प्राधिकारी चीन को होने वाले भारित औसत निर्यात मूल्य की तुलना भारत को होने वाले भारित औसत निर्यात मूल्य के साथ करना उचित नहीं मानते है कयोंकि भारत को किया गया निर्यात जांच अवधि के कई महीनों में हुआ है । प्राधिकारी के अनुसार, ऐसी तुलना उचित नहीं हो सकती है ।

(ख) प्राधिकारी किंग सैंग हांग (हांग कांग) को किए गए सौदों की जांच करने पर यह पाते हैं कि किंग सैंग हांग को किया गया निर्यात चीन के लिए नियत था और बीजकों के अनुसार सुपुर्दगी एवं भुगतान की शर्तें सी आई चीन के लिए पाई गई । अतः प्राधिकारी किंग सैंग हांग को किए गए निर्यात को चीन को किया गया निर्यात मानते हैं और इन सौदों के बीजक मूल्य को चीन का सी आई एफ मूल्य मानते हैं ।

(ग) उपरोक्त परिस्थितियों में, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण किंग सैंग हांग के साथ किए गए सौदों को चीन को किए गए निर्यात के रूप में मानकर उस पर विचार करने के पश्चात् जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए भारित औसत निर्यात कीमत के साथ चीन को किए गए भारित औसत निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर किया जाए । प्राधिकारी ऐसी तुलना को उचित मानते हैं क्योंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों ही अधिकांश जांच अवधि में शामिल हैं और इसमें प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एवं निर्यातक द्वारा यथा इंगित किंग सैंग हांग के साथ किए गए निर्यात सौदों से संबंधितं वास्तविक व्यापार परिलक्षित होता है ।

तदनुसार, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में डम्पिंग मार्जिन 9.43% निर्धारित किया गया है ।

(ii) **देवू कारपोरशन**

उपरोक्त पैरा 10 में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करने पर डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण 71.45% किया गया है ।

(iii) **एल जी केवल्स एंड मशीनरी लि0**

दिया गया तर्क

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं डम्पिंग मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करने वाली नियमावली के परिशिष्ट 1 के पैरा 6(i) में यथा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करना अपेक्षति है । यह तुलना आमतौर पर कारखाना गत स्तर पर व्यापार के समान स्तर पर की जाती है और जहां तक संभव हो एक ही समय में की गई बिक्रीयों के बारे में की जाती है । एल जी के मामले में सामान्य मूल्य के संबंध में 11 महीने की समग्र जांच अवधि शामिल हैं जबकि निर्यात कीमत के मामले में जांच अवधि के केवल आखिरी तीन महीने ही शामिल हैं । अतः प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के साथ निर्यात कीमत की तुलना जांच अवधि के इन आखिरी तीन महीनों के अनुरूप करनी चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी पाते हैं कि भारत को निर्यात जांच अवधि की केवल अंतिम दो तिमाहियों के दौरान किया गया है । अतः सामान्य मूल्य के साथ निर्यात कीमत की तुलना इस अवधि के अनुरूप की जानी है । डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी तुलना की भारित औसत पद्धति के साथ भारित औसत की तुलना को अपनाते हैं । जिसमें भारित औसत सामान्य मूल्य और भारित औसत निर्यात कीमत कथित अवधि (अक्तूबर-दिसम्बर,1998 और जनवरी-फरवरी,1999) के अनुरूप है ।

निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की इस प्रकार की गई तुलना से 22.81% डम्पिंग मार्जिन निकलता है ।

(iv) **ताईह्वान इलैक्ट्रिक बायर कंपनी लि0**

उपरोक्त पैरा 10 में यथा निधारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करने पर डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण 24.18% किया गया है ।

(v) **गैर-सहयोगी/शेष निर्यातकः**

शेष निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सहयोगी/ज्ञात निर्यातकों के लिए शेष निर्धारित अधिकतम मार्जिन पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है ।

11. इस प्रकार संबंद्ध देश और इसके निर्यातकों के बारे में निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण इस प्रकार किया जाता हैः-

देश	निर्यातक	डम्पिंग मार्जिन
कोरिया गणराज्य	i) सेमसंग इलैक्ट्रानिक्स कंपनी	i) 9.43%
	ii) देवू कारपोरेश	ii) 71.45%
	iii) एल जी केवलल्स एंड मशीनरी लि0	iii) 22.81%
	iv) ताईहन इलैक्ट्रिक वायर कं.लि0	iv) 24.18%
	v) अन्य सभी निर्यातक	v) 71.45%

12. **पहुँच कीमत**

आयातों की पहुँच कीमत का निर्धारण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3 क,8ख,9 और 9 क के अंतर्गत लगने वाले शुल्कों को छोड़कर आयातों का शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य, इसका एक प्रतिशत उत्तराई प्रभार तथा 2 प्रतिशत संचालन प्राभर और प्रचलित सीमा शुल्क के जोड़ के रूप में किया जाता है ।

ज. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

13. **क्षति का मूल्यांकन**

क्षति का मूल्यांकन करने में प्राधिकारी ने सभी संगत तथ्यों और नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा है । क्षति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता/घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है । इस संबंध में प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता के क्षमता उपयोग, निवल बिक्री वसूली, लाभप्रदत्ता और पाटन की मात्रा एवं मार्जिन जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया है । तथापि, प्राधिकारी का क्षति का मूल्यांकन करने का आधार पूर्णरूप से कीमतों में कटौती, शिकायकर्त्ता की अपनी नुकसान रहित बिक्री कीमत की वसूली करने की असमर्थता और उत्पादन लागत तथा इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया नुकसान रहा है ।

प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों में दी गई इस बात का पुनः उल्लेख करते हैं कि याचिकाकर्त्ता को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है । यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है तथापि कीमतों में काफी गिरावट रही है । इन दोनों संगत तथ्यों का प्रत्यक्ष प्रभाव याचिकाकर्त्ता की औसत निवल बिक्री वसूली पर पड़ा है । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में जो तीव्र गिरावट आई है वह एक सत्यापित तथ्य है जिससे लाभप्रदत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इसके अलावा यह एक सत्यापित तथ्य है कि मैसर्स स्टरलाइट को जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की बिक्री में नुकसान हुआ है । यद्यपि प्राधिकारी का वास्तविक क्षति के निर्धारण का आधार विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन है, तथापि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मानदंड के आधार पर क्षति को प्रमाणित किया जाए । इस प्रकार, यद्यपि बिक्री मात्रा में और उत्पादन में हुई वृद्धि वास्तधिक क्षति को नहीं दर्शाते हैं, तथापि क्षति का आधार कीमतों में कटौती के कारण कीमतों को कम करना है जिसके फलस्वरूप नुकसान हुआ है । यद्यपि घरेलू उद्योग ने बढ़ती हुई घरेलू मांग के अनुरूप अपनी क्षमता बढ़ाई है तथापि उसे पाटित आयातों के कारण कम क्षमता उपयोग पर कार्य करना पड़ा ।

दिया गया तर्क

(i) साक्ष्य के रूप में लाभ के जो आंकड़े दिए गए हैं वे ठीक नहीं है । स्टरलाइट उद्योग ने जून, 1999 में समाप्त अवधि के लिए ऑप्टिकल फाइवर की बिक्री में वृद्धि होने की खबर दी है ।

(ii) स्टरलाइट उद्योग को जो कथित नुकसान हुआ है वह विभिन्न बाह्य कारणों से हो सकता है इनमें से एक कारण माल के अस्वीकार की अत्यधिक दर हो सकता है । इसके अलावा, उल्लेखनीय है कि स्टरलाइट उद्योग को हुए नुकसान का वास्तविक कारण अलाभकारी प्रचालन का पैमाना और खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकृतियां हो सकता है ।

(iii) कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि जांच अवधि के दौरान भी स्टरलाइट का लाभ और कारोबार निष्पादन काफी अधिक रहा है । 30 जून, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का परिणाम आप्टिकल फाइबर की मात्रा में वृद्धि दर्शाता है । तथापि, स्टरलाइट ने इस तथ्य को निर्दिष्ट प्राधिकारी से जानबूझकर छिपाया है ।

(iv) प्राधिकारी को यह समझना चाहिए कि दक्षिण कोरिया के निर्यातकों द्वारा आप्टिकल फाइबर का निर्यात करने से कोई नुकसान नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी है और स्टरलाइट का घरेलू बाजार में एकाधिकार है । प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के मुद्दे पाटनरोधी शुल्क लगाने से समाप्त हो जाएँगे ।

(v) कथित पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के बारे में यह बताया गया है कि इसमें पूर्ण रूप से बाजार की मांग के आधार पर वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान यह वृद्धि 117.5 प्रतिशत तक हुई है ।

(vi) यह तथ्य दिया गया है कि जांच अवधि के दौरान कीमतों में जो काफी गिरावट आई थी वह विश्व भर में आप्टिकल फाइबर की कीमतों की अद्योगामी रूझान के अनुसार थी । तदनुसार, शिकायतकर्त्ता की निवल बिक्री वसूली में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण वस्तु की कीमतों में गिरावट का आना है जो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है ।

(vii) बाजार हिस्से में गिरावट आने के बारे में शिकायतकर्त्ता ने जो दावा किया है वह सही नहीं है क्योंकि कैप्टिव खपत को शामिल किए बगैर केवल घरेलू बिक्री के संदर्भ में देखा जाय तो बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

(i) प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में हुई वृद्धि के बारे में अपने निष्कर्ष पहले ही रिकार्ड कर दिए हैं । तथापि, यदि ऐसी बिक्रीयां अलाभकारी कीमत पर की गई है तो बिक्री में हुई वृद्धि स्वतः उद्योग की अच्छी स्थिति नहीं दर्शाती है । इस बारे में प्राधिकारी का विचार यह है कि घरेलू उद्योग को एक विशेष स्तर की विनिर्माण क्षमता का सृजन और सुविधाओं की स्थापना करने के बाद बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए अपने सामानों को बेचना पड़ता है । लेकिन कंपनी को नुकसान हुआ है यदि ये बिक्रियां लाभकारी और उचित बिक्री कीमत से नीचे की गई हैं । वर्तमान मामले में यद्यपि बिक्रियों में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग द्वारा अलाभकारी कीमतों की तुलना पाटित आयातों की कम कीमत के साथ करने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ये बिक्रीयां अलाभकारी कीमत पर की गयी है । कीमतों में कटोती करने की यह एक घटना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । जहां तक लाभों में वृद्धि के बारे में याचिकाकर्त्ता के दावे का संबंध है, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को अपने आप्टिकल फाइबर के व्यापार के कारण नुकसान हुआ है जैसाकि प्राधिकारी द्वारा स्टरलाइट उद्योग की लागत की जांच करने से पता चला है ।

(ii) इस तर्क के विपरीत प्राधिकारी पाते है कि घरेलू उद्योग ने दूरसंचार विभाग, रेलवे, इरकोन इत्यादि जैसे अपने सुविख्यात ग्राहकों के जरिए जो यह दर्शातें हैं कि उनके उत्पाद घटिया किस्म के नहीं है और ये सन्तोषजनक हैं, अपने पक्ष में गुणवत्ता प्रमाणन को रिकार्ड में रखा है । प्रचालन के अलाभकारी पैमाने के संबंध में यह बताया गया है कि 10 लाख कि.मी. की वढ़ी हुई क्षमता को अलाभकारी नहीं कहा जा सकता । इसलिए हानि के लिए इन दो कारकों नामतः खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकृत माल और प्रचालन के अलाभकारी पैमाने को दोषी नहीं माना जा सकता ।

(iii) इस बात का निदान पहले ही उपरोक्त पैरा (i) में किया जा चुका है । शिकायतकर्त्ता के लाभ के उच्च स्तर से संबधित तर्क को प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के दौरान किए गए लागत प्रमाणन के संदर्भ में सही नहीं पाया गया ।

(iv) प्राधिकारी ने शिकायतकर्त्ता के संबंध में घरेलू बाजार में एकाधिकार रखने तथा प्रमुख आपूर्तिकर्ता संबंधित कारकों पर विचार करना संगत नहीं माना है । आखिकार पाटनरोधी जांच में दूसरे देशों से उचित आयात इस कार्यवाही से प्रभावित नहीं होते हैं । इसके अलावा आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और केवल अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण के लिए ही आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है । इस प्रकार पाटनरोधी उपाय से ऐसी प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होती है, इससे केवल अनुचित प्रतिस्पर्धा और व्यापार को विकृत करने वाले प्रभाव का ही निदान होता है ।

(v) पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि 190 प्रतिशत के लगभग है जिसकी वृद्धि बाजार मांग में हुई वृद्धि से काफी अधिक है । बाजार मांग में वृद्धि को मानते हुए भी प्राधिकारी मानते हैं कि बढ़ती हुई बाजार मांग घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की जा सकती है जिसकी क्षमता पहले ही बढ़ी हुई है । तथापि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कम और अनुचित मूल्य को देखते हुए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका ।

(vi) प्राधिकारी पाते है कि कीमतों में सामान्य विश्वव्यापी गिरावट से संबंधित तर्क एक बहुत आम समस्या बन गई है । इसके अलावा आप्टिकल फाइबर के मूल्यों में गिरावट की अंतर्राष्ट्रीय घटना कोरिया के निर्यातकों द्वारा अन्य देशों को किए गए निर्यातों की कीमत पर भी लागू होनी चाहिए जो ऐसा मामला नहीं है जैसाकि निर्यातकों द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई सूचना और उसके सत्यापन से स्पष्ट है । इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कीमत पाटनरोधी जांचों के लिए एक संगत कारक नहीं है जहां अनुचित व्यापार का पता लगाना के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना जैसे कारकों की पुष्टि की जाती है ।

(vii) सामान्य व्यवहार के अनुसार प्राधिकारी बाजार हिस्से के निर्धारण के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की कैप्टिव खपत को शामिल करना उचित नहीं मानते हैं । तथापि, वास्तविक क्षति का मूल्यांकन कीमतों में पर्याप्त कमी और इसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्त्ता को हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है ।

14. **कारणात्मक संबंध**

दिया गया तर्क

यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के कारण नहीं बल्कि उनके सामान की घटिया गुणवत्ता और आर्डर के रद्द होने के फलस्वरूप हुई है । शिकायतकर्त्ता को कथित क्षति बाहरी कारणों से हुई होगी ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

घटिया गुणवत्ता से संबंधित तर्क की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और इससे संबधित निष्कर्ष इस अनुबंध में पहले ही रिकार्ड किए गए हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि पाटित आयातों के कारण कीमत में आई तीव्र गिरावट के फलस्वरूप पाई गई है । पाटित आयातों की मात्रा के बढने के साथ मूल्यों में वास्तविक रूप से गिरावट आई ।

इन दोनों संबंधित कारकों ने शिकायतकर्त्ता की औसत बिक्री वसूली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है । घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए अपनी कीमतों को पाटित कीमतों के समान रखने के लिए उच्च क्षमता का सृजन किया है । घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली उत्पादन लागत से भी कम होने के कारण उसे हानि हुई है । इस प्रकार वास्तविक क्षति पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव दोनों के कारण हुई है ।

अंतिम निष्कर्ष

15. प्राधिकारी ने उपरोक्त पर विचार करने के बाद यह निर्णय निकाला है किः

(क) संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आप्टिकल फाइबर का भारत को समान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है । जिसके कारण पाटन हुआ है ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ग) घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है ।

16. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी सीमा शुल्क उपशीर्ष 9001.10 के अंतर्गत आने वाले कोरिया गणराज्य मूल के या वहां से निर्यातित आप्टिकल फाइबर के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते है ।

17. पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन के बराबर अथवा ऐसे कम शुल्क की सिफारिश करने पर विचार किया गया था जिसे यदि लगाया जाए तो उससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो जाएगी । अलग-अलग निर्यातकों के लिए इस उद्देश्य से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत से की गई थी । जहां यह अंतर पाटन मार्जिन से कम था, वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश् की गई ।

18. तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं0 9001.10 के तहत आने वाले कोरिया गणराज्य मूल के या वहां से निर्यातित सभी आप्टिकल फाइबर के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाया जाए । उक्त संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क नीचे की सारिणी के कालम 4 में उल्लिखित राशि होगी ।

1	2	3	4
क्र. सं.	देश	निर्यातक/उत्पादक	राशि (अमरीकी डालर प्रति किग्रा.)
1	कोरिया गणराज्य	(i) सैमसुंग इलैक्ट्रॉनिक्स लि0 (ii) देवू कारपोरेशन (iii) एल.जी.केबल एंड मशीनरी लि. (iv) ताइहन इलैक्ट्रिक वायर कंपनी लि.	(i) 2.32 (ii) 8.96 (iii) 4.83 (iv) 5.18
		(v) अन्य सभी निर्यातक	(v) 8.96

19. इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2000

Final Findings

Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of Optical Fibre from Korea Republic.

24/1/99-DGAD. - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified the preliminary findings vide notification dated 5.11.99, on anti-dumping investigation concerning imports of Optical Fibre from Korea Republic (herein after also referred to as subject country) and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication.

ii) The Authority forwarded a copy of the Preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter.

iii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of Korea Republic in New Delhi with a request to them to advise the exporters and other interested parties to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (i) and (ii) above.

iv) The Authority provided an opportunity of public hearing to all interested parties to present their views orally on 22.2.2000 and 14.3.2000. All parties presenting their views were requested to file written submissions of the views

expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were provided with the opportunity to file rejoinders.

v) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;

vi) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for the sake of brevity. However, the arguments not covered in the Preliminary findings and those raised by the interested parties subsequently, to the extent they are relevant under the Rules, have been appropriately dealt in these findings.

vii) Verification of exporters' data was carried out by the Authority to the extent it was feasible. A team of officers carried out verification of information/ data at the premises of the exporters, namely, M/s Daewoo Corporation, Taihan Electric Wire Co. Ltd., Samsung Electronics Co. Ltd. and L.G. Cable & Machinery Ltd. (Korea RP).

viii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties in the Disclosure statement dtd. 31.5.2000 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

ix) The period of investigation (POI) considered in this case is 1.4.98 to 28.2.1999.

Arguments raised

(i) The case has been initiated on the basis of quotations furnished by the petitioner in evidence of Export Price to an appropriate third country which has been relied upon by the Authority for assessment of Normal Value. However, the quotation is of no evidenciary value as it is not followed by actual transaction.

(ii) The initial complaint as filed by the petitioner was incomplete and deficient in material particulars which ought to have led the Authority to reject the same and no investigation could be initiated on the basis of the said complaint.

(iii) Under the Rules the Authority should not initiate investigation pursuant to an application unless it satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link to justify initiation of investigation.

(iv) The petitioner submitted data initially for July,1998 to Feb.,1999 period and the period of investigation was subsequently taken as April,1998 to Feb.,1999. This gave an opportunity to the complainant to manipulate the figures

for the period April,98 to June, 98 resulting in the subsequently submitted data being totally inconsistent with initial data submitted with the complaint.

Examination by the Authority

(i) The Authority observes that the quotation submitted by the domestic industry (complainant) was relied upon as prima-facie evidence of Normal Value for the purpose of initiation of the case. The Authority has relied upon such information as was available to the applicant especially in view of the difficulty faced by the petitioner in obtaining information on domestic prices of Optical Fibre in the subject country and the same relating to the exporters export price to third countries. In this regard the Authority on its part also made efforts to obtain the information on the domestic selling price of the subject goods in Korea RP through Indian Embassy in Seoul but with no success. In the circumstances, the Authority considered it reasonable to rely upon the information made available by the petitioner as sufficient prima facie evidence of normal value for the purpose of initiation of investigation in the matter.

(ii) In all cases, the Authority as per normal practice gives an opportunity to the petitioner to make good the deficiencies in their petition by calling for additional information.

(iii) Same as at (i) above.

(iv) As per normal practice, the Authority initiated a case on Ist July, 1999 against imports of Optical Fibre on the basis of a fully documented Petition establishing prima facie evidence of dumping, injury and causal link received from domestic industry. The period of investigation was fixed as April 1998 to February, 1999 and cost data from the domestic industry was called for with specific reference to this period of investigation. The cost data provided with reference to POI vide domestic industry's submissions dated August 25, 1999 has been treated as the complete information and the same has been adopted as the basis for all investigations in this case.

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.

2. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the Preliminary findings and the disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement, are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per the Rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the

interested parties have been examined and wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product involved in the present investigation is Optical Fibre, originating in or exported from the subject country, classified under Customs Subheading 9001.10 of Customs Tariff Act,1975, The Classification is only indicative and in no way binding on the scope of present investigation. Optical Fibre is used for longhaul telecommunication applications, CATV and networking applications for effective transmission of voice, data and video signals.

D. "Domestic Industry Standing" of the petitioner

4. The petition has been filed by M/s Sterlite Industries Ltd., MIDC, Waluj, Aurangabad, Maharashtra. There are five Manufacturers of Optical Fibre in India including the petitioner The authority finds that the petitioner accounts for a major proportion of the production of Optical Fibre by the domestic industry during the POI. Therefore, the authority reiterates the finding that the petitioner have the requisite standing to file the petition on behalf of the domestic industry under the Rules.. Therefore, the finding at para 7 of the preliminary finding stands confirmed.

Argument raised:

No finding is given on the important issue of whether the complainant itself was an importer of the alleged dumped goods, an issue which is material to the standing of the complainant.

Examination by the Authority

The Authority finds that the petitioner/complainant had imported an insignificant quantity of about 0.30% of the total imports of the alleged dumped goods during the POI. Further such imports are found to be from the countries other than the targeted country. Such insignificant imports, as per the Authority's practice, do not affect the standing of the complainant to form part of the domestic industry. Further, as per the amendment dated 15th July, 1999 to Rule 2(b), the Authority may deem an importer of the alleged dumped article to form part of domestic industry. In the present case the Authority has reasons to deem so in view of the insignificant quantity of imports made by the complainant petitioner.

E. LIKE ARTICLE

5. The Authority reiterates the finding under Para 6 of the Preliminary findings that the Optical Fibre produced by the domestic industry is a like article

to the Optical Fibre exported from the subject country after due consideration of such aspects as the fundamental technical characteristics of both, their similar end-uses, their technical and commercial substitutability and the common tariff classification, which are considered appropriate for the purpose of assessment of like article.

Here it has been argued by the Telecom Cables Development Association that the Korean Fibre is much superior in quality compared to the Fibre produced by the petitioner. However, it is stated in this connection that the quality difference or fineness of product does not affect the likeness of articles. As per the definition of Like Article contained in Rule 2(d), it is sufficient if the article, though not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation. Accordingly the Optical Fibre imported from Korea RP is treated by the Authority as a like article to the same produced by the petitioner.

F. ASSESSMENT OF DUMPING

6. NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

The parameters of dumping, namely, the Normal value and the export price, in relation to the exporters of the subject countries are examined and determined in terms of Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995.

7. The general arguments raised in regard to the assessment of Normal Value, Export Price and Dumping Margin by the Authority in the Preliminary Findings are as under :-

Arguments raised

(i) There is a general world-wide decline in the prices of Optical Fibre and as such there is no dumping in India by these four exporters.

(ii) M/s Daewoo Corporation and L.G. Cable & Machinery Ltd. are said to have exported their fibres to other countries at an average rate which matches with their export price to India. Hence there is no dumping as the Korean Export to India is at a price which is comparable to the rates at which it is exported to other countries. Daewoo s average export price to other countries during the POI is stated to be US$ 23.01 and LG s, export prices to Germany, Austria, China, Israel etc. are stated to average US$ 24.47.

(iii) The price offered by Korean suppliers to Indian Market are comparable with international prices and therefore there is no dumping nor dumping margin. The offer prices of Optical Fibre from China and from Japan to India are quoted for this purpose.

(iv) The Authority has found the normal value in case of M/s Taihan Electric on the basis of its domestic selling price. The Authority may appropriately consider the domestic sales price of M/s Taihan Electric for determination of Normal Value for other exporters in the subject country. It is stated that the similar Normal Value as that of Taihan may be adopted for other exporters as well, who are located in the same domestic market.

(v) The disclosure Document does not comply with the requirements as set out in Rule 16 so far as it relates to Methodology of comparison and calculation of dumping margin.

Examination by the Authority

(i) As regards the contention regarding general world wide decline in prices, it is submitted that the same should apply to the Korean exporters prices to other countries as well, which is not the case as borne out by the information submitted by the exporters themselves.

(ii) In the absence of domestic selling price, the alternative method to determine normal value, under the Act, is the representative export price to an appropriate third country. Therefore, Normal Value can not be determined by averaging of the export prices to third countries.

(iii) Dumping is determined by a comparison of exporters export price to India visà-vis their export price to an appropriate third country and these two factors of comparison are always specific to an individual exporter as the Dumping margin is specific to an individual exporter/producer under Rule 17(3). In this case, these two elements are determined as per the information furnished by the exporters themselves. In the final findings these are determined after verification of exporters information. Therefore, the facts such as fall in international prices and the offer prices of Japan and China to India are not factors to be investigated as per the Anti Dumping Rules.

(iv) In this regard it is stated that under Rule 17(3), Dumping Margin is to be determined exporter-wise. Since Dumping margin is a function of two variables, namely, Normal Value and Export Price, the latter two factors are also to be determined exporter-wise. Accordingly, the Normal Value of one exporter can not be adopted for other exporters of the same country. The Normal Value of each of the cooperative exporters is determined on the basis of information made available by the individual exporter and

verified by the Authority. Therefore, the Authority has taken into account the domestic selling price as the basis of the Normal Value in cases where the exporter has domestic sales as in the case of M/s Taihan. As other exporters do not have the domestic sales, their normal value has been determined by the Authority on the basis of the alternative method of representative export price to an appropriate third country.

(v) In the Disclosure, the methodology of comparison is indicated at para 2.1.1 where the same is mentioned as weighted average to weighted average. The Authority, in the present findings, adopts the same methodology of comparison for all exporters keeping in mind the mandate under the Rules to compare the sales made at as nearly as possible the same time and at the same level of trade, i.e. at the ex-factory level..

8. The Authority provided opportunity to the known exporters to furnish information on Normal value and Export price in accordance with the provision contained in Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff (Amendment Act, 1995). The following exporters/producers who responded and cooperated for verification have been assessed as under :-

(i). **M/s SamSung Electronics Company Ltd.**

With regard to determination of Normal Value, the following arguments are raised :

Arguments raised

(a) The exporter has argued that for Normal Value determination, the sales to King Sang Hong (HongKong) should be included in the sales to China and weighted average cif value to China should be determined accordingly, as the business reality of these sales was exactly same as the direct export to China and as exports to King Sang Hong(HongKong) were destined for consumption in China, and not in HongKong.

(b) In this regard, the complainant is of the view that if the exports to China through HongKong are considered for determination of Normal value, the Authority should accepts such transactions only after careful scrutiny. In any case, the export prices to Hongkong should be increased before comparing them with an export price to India. The reason for this submission is that all exports to India are directly to end customers whereas, the export to China through Hongkong is through an intermediary. Thus these two sets of transactions are at two different commercial levels. An appropriate adjustment is, therefore, necessary. It is an admitted position that price to a trader/intermediary is always lower than that to an end user. The exports to China through Hongkong are, therefore, to be revised upwards, before determining the weighted average normal value. The extent of upward revision should be equal to the margin allowed to the

intermediary in Hongkong. If the said information is not available, the Authority has to make the adjustment based on best information available.

Examination by the Authority

(a) The Authority, upon verification of transactions to King Sang Hong (HongKong), finds the exports to King Sang Hong to be destined for China and the terms of delivery and payment as per invoices are found to be cif China. Therefore, the Authority considers the exports to King Sang Hong as exports to China and the invoice value of these transactions is treated as cif value to China.

(b) The Authority finds that the role of King Sang Hong of Hongkong is limited to the document and payment arrangement. Further, the terms of payment as per invoice is cif China. If the margin for the intermediary in Hongkong in the said transactions is taken into consideration and is added to the cif China, the same has to be deducted from the cif China to arrive at Normal value at ex-factory level. Thus, the effect of revising the export price to China upwards by addition of margin for the intermediary in Hongkong gets neutralised. Therefore, the Authority adopts the cif China price as per invoices as the basis for Normal value.

Normal Value

Accordingly, the Authority determines the Normal Value on the basis of the weighted average cif Value of Exports to China including the exports through HongKong(King Sang Hong) destined for China. The information furnished by the exporter in regard to Normal Value was verified with reference to the original invoices evidencing export to China and HongKong during the POI and the weighted average cif value to China is determined accordingly at US$ .../K.M. As regards adjustments, the freight invoice is verified and the freight amount is determined at the same level as claimed by the exporter and allowed by the Authority in the Preliminary Findings. The adjustment claimed towards c/c fee is not substantiated by the exporter. The credit expenses claimed as adjustment from their export price to China are found to be only notional and the same were not actually incurred by the exporter. The credit expenses in case of exports to India were clarified as being inbuilt in cif value. This leads the Authority to hold that such expenses are inbuilt in the cif value of exports to China as well. In view of this and in view of the notional nature of credit expenses as clarified by the exporter, the Authority excludes this element of credit expenses alongwith c/c fee from the adjustments considered in the Preliminary Findings for determination of Normal Value. Accordingly, the Normal Value, for the purpose of Final findings, is determined at US$ /K.M. To ascertain whether the exports to China were in ordinary course of trade, the details of the cost of production plus administrative, selling and general costs as provided by the exporter were examined and verified and, upon verification, the sales to China are found to be in normal course of trade by reason of price. Since based on the cost of production the sales to China are viable sales, the same are considered for Normal value.

Export Price:

As regards Export price, the original invoices evidencing exports to India have been verified and the weighted average cif value is determined at the same level as in the Preliminary Findings. As regards the adjustments claimed, no evidence was furnished in respect of c/c fee which is, therefore, excluded for the purpose of calculation of net export price. However, the documentary evidence in respect of freight(freight invoice), insurance(insurance invoice) and commission @ 2% as per the commission agreement was furnished. The total value of adjustments towards freight, insurance and commission is determined accordingly at US$ /K.M. Thus, the export price at ex-factory level, upon verification, remains at the same level as in the Preliminary Findings.

(ii) **M/s Daewoo Corporation**

A verification visit was carried out to the exporters corporate office and the manufacturing site. However, the requisite documents and records relating to their exports and cost of production were not provided for verification. No documentary evidence was furnished in respect of the Normal value and Export price and adjustments claimed thereon nor were the cost records made available for verification. In the circumstances, the Authority has no other alternative but to determine the Normal Value and Export Price as under :-

Normal Value:

In regard to Normal value, it is stated that :

(a) The various ingredients of Normal Value, i.e. the export price to China being an appropriate third country and adjustments therein, are not substantiated by the exporter. The exporter have not cooperated for verification of their information relating to Normal Value ;

(b) Further, the exports to China during the POI are in fact exports to a subsidiary company of the exporter, namely Wuxi-Daewoo Cable Ltd. Since the importer is a related company, the export price to such a company can not be relied upon for determination of normal value as the same can not be termed as being in the ordinary course of trade.

(c) In the absence of the domestic sales of the exporter and in view of the ineligibility of their exports to China as an appropriate third country (being exports to a related company) the only alternative methodology to determine the Normal Value is the cost of production. However, in regard to the cost of

production also, the information is incomplete and unverified because the details of cost of production and the break up thereof have not been furnished by the company nor have they made available the requisite documents for verification in this regard.

In the circumstances, for the purpose of the Final findings, the Authority adopts the same Normal Value as determined by the Authority in the Preliminary Findings. Thus the Normal Value is determined on the basis of the weighted average export price of South Korea to Vietnam during the POI as per information of the petitioner gathered from Korean Customs data and the adjustments claimed by the petitioner towards freight, insurance and commission. Accordingly, the Normal value is worked out as US$ 37.84/K.M.

Export Price

The export price is also determined in the same manner as in the Preliminary Findings. Thus, the same at ex-factory level is determined at US$ 22.07/K.M.

(iii) **L.G.Cables and Machinery:**

Normal Value

The Authority in the Preliminary Findings adopted the weighted average export price to Vietnam as the appropriate third country for the purpose of determination of Normal Value. Now, upon verification, it is found that the export of L.G. Cables to Vietnam are exports to their joint venture company. During verification, documentary evidence was submitted to the effect that all the exports made by L.G. to Vietnam during the POI are made to M/s VINA-GSC which is a joint venture company of L.G. with 50% share holding. These sales being to a related company can not be termed as being in the normal course of trade and, therefore, can not be considered as the basis for determination of Normal Value.

In view of the above, the Authority considers L.G's exports to China as the basis for determination of Normal Value considering China as an appropriate third country. The documents of export transaction to China during the POI have been verified and, accordingly, the Normal Value is determined after taking into account the weighted average export price to China and the adjustments towards commission, air freight and insurance in respect of which documentary evidence has been verified. Thus, the Authority determines the Normal value at US$-------/K.M. In this regard, the Authority has taken into account only the export

transactions to China during the last quarter of 1998 and the first quarter of 1999 to ensure fair comparison visà -vis the exports to India which have taken place only during this period.

Export Price

With regard to export price to India the relevant invoices and the documentary evidence in respect of adjustments claimed by the exporter towards commission, ocean freight and insurance have been verified and the claim made by the exporter and admitted by the Authority in the Preliminary Findings is found correct. Accordingly, the weighted average cif export price to India, the amount towards the aforesaid adjustments and the export price to India at ex-factory level is determined at US$----------/K.M., US$--------/K.M. and US$-----/K.M. respectively.

(iv) **Taihan Electric Wire Co. Ltd.**

Normal Value

The exporter is the only company having domestic sales of the subject goods which the Authority accepted as the basis for determination of Normal Value for M/s Taihan in the Preliminary Findings. The transactions of the exporter in the domestic market have been verified from the relevant invoices produced in original. Accordingly, the weighted average domestic price during the period is determined at the same level as considered in the Preliminary findings. As regards adjustments, inland freight and handling expenses are verified and found substantiated. However, in regard to the adjustment claimed by the exporter on account of taxes which the Authority allowed in the Preliminary Findings, it was stated that the same was claimed towards VAT. However, it was clarified by the exporter that VAT is payable by the domestic buyer and hence, can not be claimed as adjustment. Since the VAT is on the account of the buyer, the expense towards it is not incurred by the supplier in the domestic market, i.e. the exporter. Therefore, the adjustment towards taxes (VAT) claimed by the exporter in their domestic price structure, which was allowed by the Authority in the Preliminary Findings, is not considered in the Final Findings. Thus, the normal value, i.e. the domestic selling price at ex-factory level, is revised by excluding the element of taxes (VAT) from the adjustments claimed on the domestic selling price. Accordingly, the Authority determines the Normal value at US$------/K.M. Since the domestic Sales of the exporter are found to be in ordinary course of trade in terms of para 2 of Annexure-I to the Rules, the same are considered for determination of Normal Value.

Export Price

The export invoices to India during the POI have been verified and accordingly, the weighted average cif value of exports to India is determined at US$--------/K.M. The Authority determines the amount of adjustments towards commission, freight, insurance and internal freight at US$------/K.M. as verified from the documentary evidence. Accordingly, the Authority determines export price to India at ex-factory level at US$------/K.M.

G. ASSESSMENT OF DUMPING MARGIN:COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE:

9. The Authority has determined the dumping margin for various exporters/producers on the basis of a fair comparison between the Normal value and the Export price and on the basis of the principles laid down in Annexure-1 to the Rules. For the purpose of fair comparison between the Normal value and the Export price, the Authority has taken into consideration the information furnished by the exporters, duly verified, and other information available which the Authority has treated as the best available information. The Normal value and the export price determined for the known/cooperative exporters, as detailed above, are at same level of trade, i.e. at ex-factory level, and the comparison is weighted average to weighted average for the purpose of determining the dumping margin.

10. In pursuance of the above principles, dumping margin is assessed in respect of the subject country and its exporters as under :-

(i) **Samsung Electronics Company Ltd.**

Arguments raised

The exporter has made following submissions regarding fair comparison between Normal Value and Export Price :

(a) Since exports have been made to China only during the second quarter of 1998 and not in any other time during the POI, the same should be compared with the exports to India made only during the 2nd quarter of 1998 in view of the mandate under Para 6(I) of Annexure I to the Rules.

(b) Alternatively, the sales to King Sang Hong (Hong Kong) should be included in the sales to China and weighted average cif value to China should be determined accordingly, as the business reality of these sales was exactly same as the direct export to China and as exports to King Sang Hong(Hong Kong) were destined for consumption in China, and not in Hong Kong.

(c) If the Authority continues to apply the method of comparing weighted average export price to India with the weighted average export price to China

(after properly reflecting the business reality of transactions with King Sang Hong and including the exports to King Sang Hong in the exports to China) during the POI, the dumping margin will be revised downwards.

Examination by the Authority

(a) The Authority finds that the exports to China(without considering the exports to King Sang Hong) have taken place during May,1998 which covers only one month of the Period of Investigation. Since such period of export to China is not representative of the POI, the Authority does not find it reasonable to compare the weighted average value of exports to China with the same to India as the exports to India are spread over several months of the POI. Such a comparison, according to the Authority, will be any thing but fair.

(b) The Authority, upon verification of transactions to King Sang Hong(Hong Kong), finds the exports to King Sang Hong to be destined for China and the terms of delivery and payment as per invoices are found to be cif China. Therefore, the Authority considers the exports to King Sang Hong as exports to China and the invoice value of these transactions is treated as cif value to China.

(c) In the aforesaid circumstances, the Authority proposes to assesses dumping margin on the basis of a comparison of the weighted average export price to India during the POI with the weighted average price to China after considering the transactions with King Sang Hong(HongKong) as exports to China. The Authority finds that such a comparison is fair as both the Normal Value and Export Price have a broader coverage of the POI and as it reflects the business reality of the export transactions with King Sang Hong as brought out by the exporter and verified by the Authority

Accordingly, the dumping margin as a percentage of export price is determined at 9.43%

(ii) **Daewoo Corporation**

On comparison of Normal value and Export price as determined at para 8 above, the dumping margin is determined at 71.45 %

(iii) **L.G. Cables and Machinery Ltd.**

Argument raised

As per the mandatory provision as set out in para 6(i) of Annexure I to the Rules setting out principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping, the Designated Authority is required to make a fair comparison between the Export Price and Normal Value. The Comparison is to be at the same level of trade normally at ex-factory level and in respect of Sales

made at as nearly as possible the same time. In case of L.G. the Normal Value is spread over the entire investigation period of 11 months while Export price is only for the last three months of the period of investigation. The Designated Authority should therefore, compare the Export price with the Normal Value corresponding to only these three months of POI.

Examination by the Authority

The Authority finds that the exports to India have taken place only during the last two quarters of the POI. Therefore, the export price is to be compared with Normal Value corresponding to this period. The Authority, for the determination of dumping margin, adopts the weighted average to weighted average method of comparison in which both the weighted average Normal value and the weighted average export price correspond to the said period(October-December,1998 and January-February, 1999).

The Export price and the Normal Value, so compared, gives a dumping margin of 22.81 %

(iv) **Taihan Electric Wire Company Ltd.**

On comparison of Normal value and Export price as determined at para 8 above, the dumping margin is determined at 24.18%

(v) **Non-cooperative/Residual exporters:**

For residual exporters, the Authority determines the dumping margin at the highest of the margins determined for the cooperative/known exporters.

11. Thus the dumping margin as a percentage of Export price in respect of the subject country and its exporters is determined as under :-

Country	Exporters	Dumping Margin
Korea RP	(i) Samsung Electronics Company Ltd.	(i) 9.43%
	(ii) Daewoo Corporation	(ii) 71.45%
	(iii)L.G. Cables and Machinery Ltd.	(iii) 22.81%
	(iv)Taihan Electric Wire Co. Ltd.	(iv) 24.18%
	(v) All other exporters	(v) 71.45%

12 **Landed value**

The landed value of imports is determined as a sum of the cif value of imports, 1% thereof towards landing charges, 2% thereof towards handling charges and the prevailing level of Customs duties, except the duties levied under section 3, 3A, 8B, 9 and 9 A of the Customs Tariff Act, 1975.

H INJURY AND CAUSAL LINK:

13. ASSESSMENT OF INJURY:

In the assessment of injury, the Authority has taken into account all relevant facts and the principles set out in Annexure-II to the Rules. For determination of Injury, the Authority has examined the impact of dumped imports on the petitioner/domestic industry. In this regard, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of industry as the petitioner's capacity utilisation, net sales realisation, profitability and magnitude and margin of dumping. However the Authority's assessment of Injury is based substantially on price suppression, the complainant's inability to recover its non-injurious selling price and even the cost of production and the consequential losses incurred by the domestic industry.

The Authority reiterates the Preliminary finding that the petitioner has suffered material injury during the period of investigation. While the volume of the dumped imports has increased substantially during the POI over the previous year, the prices have dropped significantly. These two related facts have a direct impact on the average net sales realisation of the petitioner industry. The steep decline in the net sales realisation of the domestic industry is a verified fact which has affected the profitability adversely. Further, it is a verified fact that M/s Sterlite has suffered losses on the sale of the subject goods during the period of investigation. While the Authority's finding of material injury is based upon an evaluation of various injury parameters, it is not necessary that injury has to be established on every parameter. Thus, though the increase in the sales volume as well as the increase in production do not show material injury, injury is based upon the lowering of prices due to price undercutting and the consequential incurring of losses. Though the domestic industry increased their capacity in line with the growing domestic demand, they had to operate at a lower capacity utilisation because of the dumped imports.

Arguments raised

(i) The profit figure shown as evidence of injury is incorrect. Sterlite industry has reported growth in the sales of Optical Fibre for the period ending June 1999.

(ii) The loss allegedly suffered by the Sterlite Industry may be due to various extraneous reasons. One of which could be the high rejection rate. Further it is

stated that the actual reasons for loss suffered by the Sterlite Industry could be uneconomical scale of operation and rejections due to bad quality.

(iii) There is no injury because even for the period of investigation Sterlite profit and turnover performance have been very high. The result of the Company for the year ending June 30, 1999 indicate growth in the sale of Optical Fibre. However, this fact has been concealed deliberately by Sterlite from the Designated Authority.

(iv) The Authority should appreciate that there is no injury caused by the export of Optical Fibre by the exporters of South Korea. The sales of the domestic industry have increased and Sterlite has the domestic market monopoly. The element of competition and international technology will be eliminated in the event of imposition of anti dumping duty.

(vi) The increase in the volume of alleged dumped imports is stated to be completely in tune with the growth in market demand which has grown by 117.5% during the POI.

(vi) The fact that the prices dropped significantly during the POI was in accordance with the downward trend of prices of Optical Fibre allover the world. Accordingly, the net sales realisation of the complainant has declined primarily due to the fall in prices of the article which was an international phenomenon.

(vii) The assertion of the complainant regarding fall in the market share is not correct as the same has gone up when seen in the context of domestic sales only without including the captive consumption.

Examination by the Authority

(i) The Authority has already recorded the finding as to an increase in the sales of the domestic industry during the period of investigation. However, the increase in sales per se does not reflect the good health of the industry if such sales are at an injurious price. The Authority's position in this regard is that the domestic industry having created a particular level of manufacturing capacity and infrastructure have to sell their goods in order to maintain their presence in the market. But the injury is suffered by the company when these sales are below their non injurious and fair selling price. In the present case even though the sales have increased, these sales have taken place at an injurious price in view of the domestic industry's effort to match with the low price of the dumped imports. This is the phenomenon of price undercutting which has caused injury to the domestic industry. As regards the Petitioners' contention about the growth in profits, the same is not factually correct as the domestic industry has suffered losses on account of their Optical Fibre business as borne out by the cost investigation of Sterlite industry carried out by the Authority.

(ii) Contrary to this contention, the Authority finds that the domestic industry has placed on record the quality certification in their favour by their prominent customers such as the Department of Telecommunication, Railways, IRCON etc. which indicates that their product is not of poor quality and the same is working satisfactorily. Regarding uneconomical scale of operation it is stated that the enhanced capacity of ten lakhs K.M can not be said to be uneconomical. Therefore, loss can not be attributed to either of these two factors namely, rejection due to bad quality and uneconomical scale of operation.

(iii) This point has already been addressed at (i) above. The contention regarding high level of profit of the complainant is not found correct in the light of the cost verification carried out by the Authority for the POI.

(iv) The Authority does not consider relevant the facts relating to the complainant as the dominant supplier and as having the domestic market monopoly. After all, in the anti dumping investigation, fair imports from other countries are not impeded by the proceedings. Further there is no restriction on imports at all and anti dumping duties are levied only to curb unfair trade practices. Hence, anti dumping measure does not eliminate competition as such. It only addresses unfair competition and aims to rectify its trade distortive effect.

(v) The growth in the volume of dumped imports is in the order of about 190% which quite exceeds the growth in the market demand. Even conceding the growth in the market demand the Authority holds that the growing market demand could have been met by the domestic industry which had already put in place the enhanced capacity. However, the domestic industry could not operate at the full capacity in view of the low and unfair price of the dumped imports.

(vi) The Authority finds the argument regarding general worldwide decline in prices to be too general a proposition. Further, the international phenomenon of fall in prices of Optical Fibre should apply to Korean exporters price to other countries as well, which is not the case as evident from the information submitted by the exporters themselves and verification thereof. Further, international price is not a factor relevant to anti dumping investigations where factors such as a comparison between Normal Value and Export Price are verified to establish unfair trade.

(vii) As per the normal practice, the Authority considers it appropriate not to include captive consumption of the subject goods by the domestic industry for the purpose of determination of market share. In any case, the assessment of material injury is based substantially on price suppression and the consequential losses suffered by the complainant.

14. **Causal Link**

Argument raised

It is stated that the injury to the domestic industry is not due to dumping but due to the poor quality of their goods and the consequential cancellation of order. The loss allegedly suffered by the complainant may be due to extraneous reasons.

Examination by the Authority

The argument regarding poor quality has been examined by the Authority and the finding in this regard has been recorded earlier in this Annexure. The loss suffered by the domestic industry has been found to be a result of sharp price undercutting caused by dumped imports. Coupled with increased volume of dumped imports, the prices have dropped significantly. These two related facts had a direct impact on the average sales realisation of the complainant. The domestic industry having created a large capacity had to match their prices with the dumped prices in order to maintain their presence in the domestic market. The decline in the sales realisation below the cost of production resulted in losses for the domestic industry. Thus, the material injury was caused by both the volume and the price effect of dumped imports.

I. FINAL FINDINGS:

15. The Authority, after considering the foregoing, concludes that :

(a) Optical Fibre originating in or exported from the subject country has been exported to India at a price below the Normal value, thereby resulting in dumping.

(b) The domestic industry has suffered material injury.

(c) The injury has been caused to the domestic industry by the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

16 In view of the above, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of Optical Fibre falling under Customs Subheading 9001.10 originating in or exported from Korea RP.

17. It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less which, if levied, would remove injury to domestic industry. Landed values of imports for individual exporters, for the purpose, were compared with the non-injurious selling price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin a duty lower than the dumping margin is recommended.

18. Accordingly, it is proposed that definitive anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Optical Fibre originating in or exported from the Korea RP falling under Customs Subheading No. 9001.10 of Customs Tariff Act. The definitive anti-dumping duty in respect of the exporters/producers of the said subject country shall be the amount mentioned in column 4 of the following table:

1.	2.	3.	4.
Sl.No.	**Country**	**Exporter/producer**	**Amount(US$Per K.M.)**
1	Korea RP	i. Samsung Electronics Ltd.	i. 2.32
		ii. Daewoo Corporation	ii. 8.96
		iii. L.G. Cables and Machinery Ltd.	iii. 4.83
		iv. Taihan Electric Wire Co. Ltd.	iv. 5.18
		v. All other exporters	v. 8.96

19. The appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Tribunal in accordance with the Act Supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000